FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0315 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 30/12/2024 17:35 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(1)(c)
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(1)(d)
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(2)
4	भा दं सं 1860	409
5	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 01/02/2010 **Date To (दिनांक तक):** 31/12/2014

      Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 10:00 बजे **Time To (समय तक):** 18:00 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 30/12/2024 **Time (समय):** 14:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 30/12/2024 17:35:43 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित
5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** EAST, 85 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

      (b) **Address(पता):** GRAM PANCHAYAT CHANDGOTHEE, PANCHAYAT SAMITI RAJGARH, DISTRICT CHURU

      (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

      Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** NARAYAN SINGH KALIYA

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** NAURANGRAM

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 25/12/1951 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GRAM CHANDGOTHEE, RAJGARH, CHURU, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GRAM CHANDGOTHEE, RAJGARH, CHURU, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	BANARASI DEVI		पति:HOSHIYAR SINGH	1. CHANDGOTHEE,RAJGARH,CH
2	DAYACHAND		पिता:MALARAM	1. NORANGPURA,RAJGARH,CHU
3	DALBEER SINGH		पिता:KAMAL SINGH	1. CHANDGOTHEE,RAJGARH,CH

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		9,46,303.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 9,46,303.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, निवेदन है कि श्रीमान सेशन न्यायाधीश, भ्र0 नि0 अधिनियम बीकानेर से परिवादी श्री नारायणसिंह कालिया निवासी अम्बेडकर कॉलोनी चांदगोठी तहसील राजगढ जिला चूरू का इस्तगासा धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया सहिता में 1. श्रीमती बनारसी देवी पत्नी होशियार सिंह जाति मेघवाल पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत चांदगोठी पंचायत समिति राजगढ जिला चूरू 2. श्री होशियार सिंह पुत्र काशीराम जाति मेघवाल निवासी चांदगोठी पंचायत समिति राजगढ जिला चूरू 3. संजय कुमार पुत्र श्री होशियार सिंह जाति मेघवाल निवासी चांदगोठी पंचायत समिति राजगढ जिला चूरू के विरूद्ध प्राप्त होने पर उक्त इस्तगासा पर मुख्यालय से प्रा0जा0 सं0 06/2017 दर्ज होकर प्राप्त होने पर सम्बन्धित रिकार्ड प्राप्त कर जांच की गई। उक्त प्राथमिक जांच की जांच से पाया गया कि श्रीमती बनारसी देवी वर्ष जनवरी 2010 से फरवरी 2015 तक सरपंच एवं श्री दयाचन्द ग्राम सेवक ग्राम पंचायत चांदगोठी में कार्यरत रहे है। सरपंच एवं ग्राम सेवक द्वारा ग्राम पंचायत चांदगोठी में करवाये गये निम्न निर्माण कार्यों में अनियमितता की गई। 1.विकास अधिकारी पंचायत समिति राजगढ के द्वारा वर्ष 2010-11 के लिए निविदा सं0 5957 दिनांक 23.11.10 से ग्राम पंचायत चॉदगोठी के लिए सामग्री सप्लाई हेतु जारी की गई है। उक्त निविदा के खोलने की तिथि दिनांक 16.12.10 रखी गई थी जिसमें तीन फर्म मैसर्स रामनिवास पुत्र तेजाराम चॉदगोठी, मैसर्स जय दुर्गा मां स्टोन मर्चेंट चॉदगोठी, मैसर्स औला इन्टर प्राईजेज नूहन्द की दरें प्राप्त हुई। जिस पर कमेटी में श्रीमती बनारसी देवी सरपंच, उप सरपंच श्रीमती खजानी, गा्रम सेवक दयाचन्द, क0 अभियन्ता प्रदीप कुमार व लेखाकार ने उक्त निविदा खोली जिसमें प्रतियोगी दरें प्राप्त नही होने के कारण पंचायत समिति स्तरीय कमेटी को स्वीकृति हेतु प्रेषित की गई परन्तु पंचायत समिति से किस फर्म को कार्यादेश जारी किया गया, उक्त सूचना ग्राम पंचायत में उपलब्ध नही होने के कारण पचायत समिति राजगढ द्वारा अपने पत्रांक 5600-02 दिनांक 13.11.2018 से अवगत कराया है कि ग्राम पंचायत चांदगोठी के लिए वर्ष 2010-11 के लिए पंचायत समिति स्तर पर किसी भी प्रकार की अनुशंषा या कार्यादेश पृथक से जारी नहीं किया गया है। इसके उपरान्त भी श्रीमती बनारसी देवी के पुत्र श्री संजय कुमार जो फर्म श्याम इन्टर प्राईजेज चांदगोठी का प्रोपराईटर था, से सरपंच एवं ग्राम सेवक द्वारा बिना कार्यादेश दिए ही ग्राम पंचायत चांदगोठी के 08 निर्माण कार्यां में निर्माण सामग्री आपूर्ति कराकर फर्म श्याम इन्टर प्राईजेज चांदगोठी को 7,26,809 रूपये का अनुचित भुगतान किया गया जबकि आयुक्त एवं शासन सचिव ईजीएस ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग जयपुर के आदेश दिनांक 16.08.2011 एवं वितिय सलाहकार ईजीएस के आदेश दिनांक 01.02.2013 के अनुसार महानरेगा योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में निर्माण सामग्री की खरीद हेतु आमंत्रित निविदाओं में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के परिजनों तथा जनप्रतिनिधियों के परिजन भाग नहीं ले सकते। वित एवं लेखा मार्गदर्शिका 2011 के बिन्दू संख्या 15.28.06 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि निविदा प्रक्रिया के निर्णय में संबंधित कार्मिकों/अधिकारियों तथा क्रय आदेश देने वाले अधिकारियों/कार्मिकों/लोकसेवकों/संविदाकर्मियों के परिजन निविदा में भाग नहीं ले सकेगें। उक्त आदेश के उपरान्त भी श्रीमती बनारसी देवी सरपंच चांदगोठी द्वारा अपने पुत्र संजय की फर्म श्याम इन्टर प्राईजेज चांदगोठी से पंचायत के 08 निर्माण कार्यां में बिना निविदा किए निर्माण सामग्री आपूर्ति करवाई गई तथा फर्म द्वारा बिल प्रस्तुत करने पर स्वयं द्वारा पारित कर फर्म को भुगतान किया गया। 2. विकास अधिकारी, पंचायत समिति राजगढ के द्वारा पंचायत भवन से हरिजन बस्ती से होता हुआ घुडाराम पुत्र नोरगराम के घर तक इन्टर लॉक मय नाली निर्माण चांदगोठी की प्रशासनिक/वित्तिय स्वीकृति पत्रांक 1826-32 दिनांक 03.02.14 से 5.00 लाख रूपये की जारी की गई। जिस पर सरपंच श्रीमती बनारसी देवी ग्राम पंचायत चांदगोठी के द्वारा उक्त कार्य दिनांक 05.03.14 से दिनांक 15.04.14 तक करवाया गया। उक्त कार्य का माप श्री बलवन्त सिंह क0 अभियन्ता के द्वारा लिए जाकर एमबी नं. 553 के पेज सं0 44, 45 पर दर्ज किये गये। उक्त कार्य के पेटे

4,99,098 रूपये खर्च कर कार्य की सीसी श्रीमती बनारसी देवी सरपंच, सहायक अभियन्ता श्री बलवन्त के हस्ताक्षर से जारी की गई है। उक्त कार्य के लिए श्योराण क0 क0 ने बिल नं. 238 दिनांक 27.05.14 को ब्लॉक, सीमेन्ट, क्रेशर, ग्रीट का कुल 2,19,494 रूपये का दिया गया है जो कार्य पूर्ण होने के बाद का है। उक्त कार्य में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चूरू के आदेशानुसार श्री आलोक कुमार सैनी परियोजना अधिकारी (लेखा) व श्री रामनिवास शर्मा अधिशाषी अभियन्ता (नरेगा) जिला परिषद चूरू द्वारा जांच की गई। उक्त अधिकारियों ने बाद जांच अपनी जांच रिपोर्ट में उक्त कार्य के भुगतान को गलत माना है। इस प्रकार श्रीमती बनारसी देवी सरपंच व श्री दयाचन्द ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत चांदगोठी पंचायत समिति राजगढ जिला चूरू द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुए सरपंच पुत्र संजय कुमार से मिलीभगत कर उसे 08 निर्माण कार्यों में सामग्री आपूर्ति के कार्यादेश दिए बिना ही 7,26,809 रूपये का भुगतान किया गया तथा इन्टरलॉक में नाली निर्माण कार्य पंचायत भवन से हरीजन बस्ती होते हुए धुड़ाराम पुत्र नौरंगराम के घर तक के कार्य में कार्य उपरान्त निर्माण सामग्री ब्लॉक, सीमेन्ट, क्रेशर व ग्रिट के 2,19,494 रूपये के बिल फर्म श्योराण क0 कम्पनी के प्रोपराईटर दलबीर पुत्र कमल सिंह द्वारा प्रस्तुत करने पर सरपंच श्रीमती बनारसी देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री दयाचन्द द्वारा पारित कर संबंधित फर्म को भुगतान किया गया है। उक्त दोनों कार्यों में श्रीमती बनारसी देवी सरपंच एवं श्री दयाचन्द ग्राम सेवक द्वारा फर्म श्याम इन्टर प्राईजेज के मालिक संजय कुमार एवं फर्म श्योराण क0 कम्पनी के प्रोपराईटर दलबीर से आपस में मिलीभगत कर कुल 9,46,303 रूपये का अनियमित भुगतान कर धारा 13(1)(सी)(डी), 13(2) पीसी एक्ट 1988 व 409, 120बी भा.द.स. का अपराध कारित करना प्रथम दृष्ट्या पाया गया है। श्री संजय कुमार प्रोपराइटर फर्म श्याम इन्टर प्राईजेज चांदगोठी की मृत्यु दिनांक 16.04.2022 को हो चुकी है। अतः श्रीमती बनारसी देवी तत्का0 सरपंच, श्री दयाचन्द तत्का0 ग्राम सेवक ग्राम पंचायत चांदगोठी प0स0 राजगढ जिला चूरू व श्री दलबीर सिंह प्रोपराईटर फर्म श्योराण कंस्ट्रक्शन कम्पनी चांदगोठी के विरूद्ध धारा 13(1)(सी)(डी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 व 409, 120बी भादस में अभियोग पंजीबद्ध किये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान् महानिदेशक, भ्र0नि0 ब्यूरो राज0 जयपुर की सेवामें प्रेषित है। भवदीय (शब्बीर खान) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चूरू..........कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री शब्बीर खान, उप अधीक्षक पुलिस, निरोधक ब्यूरो, चूरू ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(सी)(डी), 13(2) पीसी एक्ट 1988 व 409, 120बी भा.द.स. में आरोपीगण 1- श्रीमती बनारसी देवी पत्नी श्री होषियार सिंह जाति मेघवाल उम्र 61 वर्ष निवासी चांदगोठी तहसील राजगढ जिला चूरू तत्का0 सरपंच ग्राम पंचायत चांदगोठी प0स0 राजगढ जिला चूरू, 2- श्री दयाचन्द पुत्र स्व0 मालाराम जाति जाट उम्र 72 वर्ष निवासी नोरंगपुरा तहसील राजगढ जिला चूरू तत्का0 ग्राम सेवक ग्राम पंचायत चांदगोठी प0स0 राजगढ जिला चूरू हाल सेवानिवृत, 3-श्री दलबीर सिंह पुत्र कमलसिंह जाति जाट उम्र 59 वर्ष निवासी चांदगोठी प0स0 राजगढ जिला चूरू हाल प्रोपराईटर फर्म श्योराण कंस्ट्रक्शन कम्पनी चांदगोठी के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री महेन्द्र कुमार, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चुरू को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 390 पर अंकित है। (राहुल कोटोकी) उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1741-46 दिनांक 30-12-2024 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर । 2- आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान जयपुर। 3- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद चुरू। 4- उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, तृतीय जयपुर। 5- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चुरू। 6- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक-परिवाद, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर (प्राथमिक जॉच संख्या 06/17) उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम): MAHENDRA KUMAR **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Rahul Katakey
Location: Rajasthan,IN
Date: 30/12/2024 17:

Name(नाम): RAHUL KATAKEY

Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)

No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1963				
2	Male	13/05/1952				
3	Male	1965				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)